प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 10/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

दिनेश सोनी पुत्र स्व. श्री गणपत सोनी पता: 42/3 मोती चौहट्टा, जिला–उदयपुर

.............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव उदयपुर (राज.)

.................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 19/02/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/10/24/102–03 दिनांक 25.01.2024 से लिखा गया। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक: सू.अ./2023/131 दिनांक 08.02.2024 से जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील को निरस्त करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्रांक 131 दिनांक 08.02.2024 से प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

चूंकि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियत समयावधि उपरान्त उपलब्ध करवायी गई है अतः प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकार तहसीलदार बड़गांव को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निरस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर